न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– **श्री गोविंद सिंह आर.ए.एस.**
पत्रावली संख्या. 03/2025
किस्म :–प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 20.02.2025 **निर्णय दिनांकः 21.05.2025**

अनवान

1. कंवरी पत्नी स्व. गोपाल जाति गाडरिया (गाडरी)
2. गणेशलाल पुत्र लघु जाति गाडरिया (गाडरी)
3. नाथूलाल पुत्र लच्छु जाति गाडरिया (गाडरी)
4. बद्रीलाल पुत्र हरलाल जाति जाट
5. भैरूलाल पिता हरलाल जाति जाट
6. सीता पुत्री रामलाल जाति गाडरिया (गाडरी)
7. लीला पुत्री रामलाल जाति गाडरिया (गाडरी)
8. लोभु पुत्र हकमा जी जाति जाट
9. नाबालिंग कृष्णा पुत्री गोपाल संरक्षक माता कंवरी जाति गाडरिया (गाडरी)
10. नाबालिंग लक्ष्मी पुत्री गोपाल संरक्षक माता कंवरी जाति गाडरिया (गाडरी)
11. नाबालिंग प्रियंका पुत्री गोपाल संरक्षक माता कंवरी जाति गाडरिया (गाडरी)
12. नाबालिंग मेमा पत्री गोपाल संरक्षक माता कंवरी जाति गाडरिया (गाडरी)

प्रार्थी संख्या 9,10,11,12 सभी नाबालिंग जरिये विधिक संरक्षक माता श्रीमती कंवरी पत्नी स्व. गोपाल जाति गाडरिया (गाडरी)
सभी निवासीयान भोलीखेडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज०)

....................**प्रार्थीगण**

बनाम

1. केशी पुत्री देवा जी पत्नी नंगजीराम जाति गडरिया (गाडरी) निवासी भोलीखेडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द

....................विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण की ओर से :– **अधिवक्ता रतनलाल रावत**
विपक्षी की ओर से :– **एकपक्षीय**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 रिकॉर्ड मे रास्ता दर्ज करने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भोलीखेडा पटवार हल्का लीकी तहसील आमेट जिला राजसमन्द में प्रार्थीगण के हक अधिकार व आधिपत्य की भूमियां स्थित है जिसके खाता संख्या नया 139 पुराना 30 के आराजी नम्बर

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

656 रकबा 0.2100 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। खातेदार रामलाल व मोडीबाई का देहान्त हो जाने से उनके वारिस को पक्षकार बनाया। उपरोक्त भूमि के पास में विपक्षी के खातेदारी भूमि भोलीखेडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द के खाता संख्या नया 130 पुराना 172 आराजी नम्बर 643 रकबा 0.4700 हैक्टर भूमि स्थित हैं । उपरोक्त भूमि मुख्य सडक से टच होकर मुख्य रोड के आराजी नम्बर 387, 745 हैं। विवादित भूमि आराजी नम्बर 656 में जाने का एक मात्र रास्ता आराजी नम्बर 643 में से होकर जाता हैं। आराजी नम्बर 656 प्रार्थीया के हक अधिकार व आधिपत्य की भूमि हैं तथा उपरोक्त भूमि में जाने का रास्ता विपक्षी की भूमि आराजी नम्बर 643 के पूर्वी सरहद जो आराजी नम्बर 662 व 661 के सटमा होते हुए आराजी नम्बर 656 में जाता हैं जिसका नजरी नक्शा साथ संलग्न किया गया हैं। उक्त रास्ता आराजी नम्बर 643 रकबा 0.2100 हैक्टर भूमि में से होकर जाता हैं। उक्त रास्ता जो आराजी नम्बर 643 विपक्षी की भूमि से होकर जाता है वह रास्ता डोटेड लाईन से दर्शाया जाता है तथा उक्त रास्ता वर्षो पुराना होकर प्रार्थीया उक्त रास्ते से अपनी भूमि आराजी नम्बर 656 में जाते हैं। यह रास्ता वर्तमान में 7 फीट चौडा होकर मुख्य रास्ता आराजी नम्बर 745 से जुडा हुआ हैं। विपक्षी द्वारा मुख्य रास्ते को भी सकडा कर दिया गया हैं तथा अपनी भूमि आराजी नम्बर 643 स्थित रास्ते को निरन्तर सकडा कर रहा हैं और वर्तमान में उक्त रास्ता काफी सकडा होकर प्रार्थीया को उक्त रास्ते में आने जाने में काफी परेशानी हो रही हैं, तथा भूमि का सही उपयोग नही हो पा रहा हैं तथा बडी मशीनरी व बैलगाडीया खेतो पर नही ले जा पा रहे है। विपक्षी आये दिन रास्ते को बन्द कर देता है और निरन्तर विवाद की स्थिति बनी रहती हैं। आराजी नम्बर 656 जो प्रार्थीया के हक अधिकार की है उसमें जाने का एक मात्र रास्ता आराजी नम्बर 643 में से होकर जाता है और वर्तमान में वह रास्ता काफी सकडा कर दिया हैं जिससे प्रार्थीगण को आने जाने व साधन लाने ले जाने में काफी परेशानी होती हैं इसलिये विद्यमान रास्ते को 30 फीट चौडा किया जाना अनिवार्य हैं। विपक्षी जबरन ताकत के बल पर आये रास्ते को बन्द कर देते हैं और मौके पर विवाद होते रहते हैं। प्रार्थीगण की हक अधिकार की भूमि आराजी नम्बर 656 में जाने का एक मात्र रास्ता विपक्षी की आराजी नम्बर 643 से होकर जाता हैं, इसलिये अलावा प्रार्थीगण का वैकल्पीक रास्ता नहीं हैं। प्रार्थीगण दर्ज खातेदारी रास्ता आराजी नम्बर 745 व 387 से होकर आराजी नम्बर 643 के पूर्व की तरफ सटमा आराजी नम्बर 660, 661, 662 के सटमा होते हुए अपनी भूमि आराजी नम्बर 656 में प्रवेश करते हैं। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया हैं कि ग्राम भोलीखेडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द की आराजी नम्बर 643 मे से होकर आराजी नम्बर 656 तक जाने के लिये मुख्य सडक से लेकर प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 656 तक आराजी नम्बर 643 की पूर्वी सीमा आराजी नम्बर 660, 661, 662 के सटमा प्रार्थीगण को 30 फीट रास्ता दिलवाया जावें एवं उक्त रास्ता बिलानाम रास्ता खातेदारी में दर्ज किया जावें। प्रार्थना पत्र के लिये कारण दिनांक 05.07.2024 को जब विपक्षी द्वारा रास्ते को बन्द कर दिया बमुकाम भोलीखेडा न्यायालय क्षेत्र आप में उत्पन्न हुआ ।

अतः श्रीमान् से अनुरोध हैं कि राजस्व ग्राम भोलीखेडा पटवार हल्का लीकी तहसील आमेट जिला राजसमन्द की आराजी नम्बर 643 मे से होकर आराजी नम्बर 656 तक जाने

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

के लिये मुख्य सडक से लेकर प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 656 तक आराजी नम्बर 643 की पूर्वी सीमा आराजी नम्बर 660, 661, 662 के सटमा प्रार्थीगण को विद्यमान रास्ता 30 फीट चौडा कर रास्ता दिलवाया जावें एवं उक्त रास्ता बिलानाम रास्ता खातेदारी में दर्ज किया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी की तामील रजिस्टर्ड ऐडी से करायी गयी जिसकी ट्रेक रिपोर्ट से जाहिर है कि उक्त विपक्षी की तामील हुयी किन्तु न्यायालय मे अनुपस्थित रहे जिससे विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तहसीलदार आमेट ने मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भोलीखेडा पटवार हल्का लीकी के साबिक खसरा संख्या 656 के बजाय नवीन आराजी नम्बर 638 बने है जिसमें आने जाने हेतु रास्ता विपक्षी की साबिक खसरा 643 के बजाय नवीन आराजी नम्बर 625, 627, 628 बने है, में से रास्ता चाहा गया है। प्रार्थिया द्वारा मांग किये गये रास्ते की आवश्यकता है, क्योकि प्रार्थीगण खसरा संख्या 638 में जाने हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थिया द्वारा चाही गई प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि खसरा से. 625, 627, 628 रकबा क्रमशः 0.0150 हैक्टेयर, 0.0210 हैक्टेयर, 0.0069 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.0429 हैक्टेयर है। सम्पुर्ण खसरा नम्बर होने से लम्बाई चोड़ाई का अकन नहीं किया गया है। प्रस्तावित रास्ते पर कोई फसल, पेड़–पौधे, निर्माण आदि नहीं है। प्रस्तावित रास्ता भीलीखेडा वरणीया रास्ता आ०न० 218 पर मिलता है। प्रस्तावित खसरा 625, 627, 628 केशी पुत्री देवा पति नंगजीराम गाडरी सा देह के नाम आवासीय प्रयोजनार्थ जिम्मन दर्ज होकर भुमि की किस्म गै. मु. आवासीय ईकाई दर्ज रिकोर्ड है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हक अधिकार की भूमि आराजी नम्बर 656 के नये नम्बर 638 में जाने का एक मात्र रास्ता विपक्षी की आराजी नम्बर 643 के नये नम्बर 625, 627, 628 से होकर जाता हैं, इसलिये अलावा प्रार्थीगण का वैकल्पीक रास्ता नहीं हैं। प्रार्थीगण दर्ज खातेदारी रास्ता आराजी नम्बर 745 व 387 से होकर आराजी नम्बर 643 के पूर्व की तरफ सटमा आराजी नम्बर 660, 661, 662 के सटमा होते हुए अपनी भूमि आराजी नम्बर 656 के नये नम्बर 638 में प्रवेश करते हैं। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया हैं कि ग्राम भोलीखेडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द की आराजी नम्बर 643 मे से होकर आराजी नम्बर 656 के नये नम्बर 638 तक जाने के लिये मुख्य सडक से लेकर प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 656 के नये नम्बर 638 तक आराजी नम्बर 643 के नये नम्बर 625, 627, 628 की पूर्वी सीमा आराजी नम्बर 660, 661, 662 के सटमा प्रार्थीगण को 30 फीट रास्ता दिलवाया जावें एवं उक्त रास्ता बिलानाम रास्ता खातेदारी में दर्ज किया जावें।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कर तहसीलदार आमेट की मौका रिपोर्ट से जाहिर है कि प्रार्थीगण मौके पर आराजी नं. आराजी नम्बर 656 के नये नम्बर 638 भूमि मे आने–जाने हेतु राजस्व रेकार्ड मे कोई रास्ता दर्ज नही है, न ही उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 656 के नये नम्बर 638 मे आने–जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 653 के नये नम्बर 625, 627, 628 रकबा क्रमशः 0.0150 हैक्टेयर, 0.0210 हैक्टेयर, 0.0069 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.0429 हैक्टेयर रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम भोलीखेडा पटवार हल्का लीकी तहसील आमेट जिला राजसमन्द में प्रार्थी के खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी नम्बर 656 के नये नम्बर 638 में आने–जाने के लिए विपक्षी की आराजी नम्बर आराजी नम्बर 653 के नये नम्बर 625, 627, 628 रकबा क्रमशः 0.0150 हैक्टेयर किस्म गै.मु.आवासीय ईकाई, 0.0210 हैक्टेयर किस्म गै.मु.आवासीय ईकाई, 0.0069 हैक्टेयर किस्म गै.मु.आवासीय ईकाई कुल किता 03 कुल रकबा 0.0429 हैक्टेयर रास्ता प्रस्तावित किया गया है जिसकी **वर्तमान डी.एल.सी. दर 1410/– प्रति वर्ग मीटर के अनुसार राशि 6,04,890/– की दुगुनी राशि 12,09,780/– रूपये तहसील कार्यालय में जमा करावें।** उक्त राशि जमा कराने के पश्चात् राजस्व अभिलेख में तथा नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ते का अंकन किया जावें तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक रास्ता रहेगा।

नोटः– तहसील आमेट/सरदारगढ मे सर्वे–रिसर्वे के दौरान यदि आराजी नम्बर बदल गये हो तो नवीन आराजी नम्बर का नक्शा ट्रेस एवं मिलान खसरा से मिलान करते हुये निर्णय की पालना की जावें। नवीन आराजी नम्बर मे यदि रकबा कम ज्यादा हुआ हो तो निर्णय मुताबिक पालना की जावें। नवीन राजस्व अभिलेख की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ पुनः इस न्यायालय मे प्रस्तुत करावें।

(गोविन्द सिंह)
न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी आमेट
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

(गोविन्द सिंह)
न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी आमेट
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)